भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *45**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते

*45. **श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:**
श्री अतुल गर्ग:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाजार पहुंच, प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने, सेवाओं की गतिशीलता और निवेश पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की दिशा में आगे बढ़ रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे समझौते भारत की विनिर्माण और निर्यात प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भेषज, इलेक्ट्रॉनिकी, वस्त्र, समुद्री उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं, जैसे उच्च विकास वाले निर्यात क्षेत्रों, जिन्हें मुक्त व्यापार समझौतों से फायदा हो सकता है, की पहचान करने के लिए क्षेत्र-वार आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या निर्यात लाभ को अधिकतम करते हुए कृषि, डेयरी तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए व्यापार समझौतों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार मुक्त व्यापार समझौतों के फ़ायदों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्योग संघों, निर्यात परिषदों और वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मंत्रालय ने इस बात का विश्लेषण किया है कि नए मुक्त व्यापार समझौते किस प्रकार भारत के वैश्विक व्यापार को सुदृढ़ करेंगे, विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगे और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करेंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

******

"मुक्त व्यापार समझौतों" के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *45 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण"

(क): सरकार मुख्य रूप से व्यापार बढ़ाने के लिए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर वार्ता कर रही है, जिसमें बेहतर बाजार पहुंच, सेवाओं में व्यापार, गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग शामिल हैं। एफटीए का उद्देश्य व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापारिक पूरकताओं का लाभ उठाना है, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि हो, उद्योग और किसानों के लिए संभावनाएं पैदा हों और रोजगार के अवसर सृजित हों । इस वित्तीय वर्ष में, सरकार ने यूनाइटेड किंगडम (यूके), ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एफटीए संपन्न किए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने हाल के वर्षों में निम्नलिखित एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्र. सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1.	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल , 2021
2.	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी, 2022	1 मई 2022
3.	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)	2 अप्रैल , 2022	29 दिसंबर 2022.
4.	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड)	10 मार्च, 2024	01 अक्टूबर 2025

[ख) और (ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार समझौते भारत की विनिर्माण और निर्यात प्राथमिकताओं के अनुरूप हों, सरकार वार्ता के सभी चरणों में उद्योग प्रतिनिधियों सहित हितधारकों से परामर्श करती है। इसमें वार्ता से पहले का चरण, वार्ता का प्रत्येक दौर और समझौतों के कार्यान्वयन के दौरान समापन के बाद का चरण शामिल है। इस सुनियोजित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग वस्तुएं जैसे उच्च विकास वाले निर्यात क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट परामर्श भी किए जाते हैं, जिन्हें मुक्त व्यापार समझौतों से लाभ हो सकता है।

(घ): घरेलू उद्योग और कृषि, डेयरी तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या अपवर्जन सूचियाँ बनाए रखने का प्रावधान है जिन पर सीमित या कोई शुल्क रियायत नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आयात में अचानक वृद्धि और घरेलू उद्योग को होने वाली हानि की स्थिति में, किसी देश को मुक्त व्यापार

समझौतों के तहत दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि के भीतर, आयात पर डंपिंग-विरोधी और सुरक्षा उपायों जैसे व्यापारिक उपचारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है।

(ड.): सरकार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लाभों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), आईआईएफटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकार एफटीए के तहत अवसरों का प्रसार करने के लिए संबंधित हितधारकों, जिनमें विदेशों में भारतीय दूतावास, निर्यात संवर्धन परिषदें, व्यापार संघ, संबंधित मंत्रालय/विभाग शामिल हैं, के साथ एफटीए पर नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है, जिनमें क्षेत्र-विशिष्ट सत्र, एमएसएमई क्लस्टर कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन पहलों में शुल्क रियायतें, मूल नियम, प्रमाणन प्रक्रियाएं और अनुपालन आवश्यकताएं जैसे प्रमुख पहलू शामिल हैं, और जहां भी प्रासंगिक हो, उद्योग निकायों और वैश्विक भागीदारों के समन्वय से आयोजित किए जाते हैं। सरकार की कुछ अन्य पहलें जो एफटीए के बेहतर उपयोग में योगदान करती हैं, निम्नलिखित दी गई हैं:

i. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए - विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है ।
ii. वाणिज्य विभाग अपने सदस्य निर्यातकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी को सुगम बनाता है, जिससे मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के उपयोग को बढ़ावा मिलता है।
iii. व्यापार-नीति ढांचे के तहत, डीजीएफटी घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को उत्पादकों के हितों के साथ संतुलित करने के लिए कैलिब्रेटेड निर्यात उपायों (जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य और, जहां आवश्यक हो, अस्थायी प्रतिबंध) को अधिसूचित करता है।
iv. केंद्रीय बजट 2025 में घोषित भारत ट्रेड नेट (बीटीएन), सरकार का एक प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कार्यक्रम है। यह पहल सरल, पेपरलेस दस्तावेज़ीकरण को सक्षम करके, अनुपालन बोझ को कम करके और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त त्वरित, सुरक्षित व्यापार लेनदेन को सुगम बनाकर लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।
v. डिस्ट्रिक्ट एज़ एक्सपोर्ट हब्स (डीईएच) और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स जैसे जमीनी स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत से एमएसएमई, स्टार्ट-अप और कारीगरों को कम लागत पर और सरल निर्यात प्रक्रियाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है।
vi. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) ने लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को समर्थन देने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जैसे कि डब्ल्यूटी-ईसीआईबी के तहत संपार्श्विक मुक्त कवर, 01.10.2025 से बिना किसी अतिरिक्त लागत के 50 करोड़ रुपये तक के निर्यात ऋण पर बैंकों के लिए 90% तक का बढ़ा हुआ कवर (पहले 20 करोड़ रुपये), बैंकों और सीधे तौर पर प्राप्त व्यवसायों के लिए बढ़ा हुआ कवर, आदि।
vii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित करके निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली स्थापित की है।
viii. सीबीआईसी ने डाक विभाग के सहयोग से डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है।

ix. जीएसटी परिषद ने ई-कॉमर्स निर्यात के लिए वस्तुओं की अंतरराज्यीय आवाजाही की शर्तों में ढील देने की भी सिफारिश की है, जिससे लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक प्रमुख परिचालन बाधा का समाधान हो सके और निर्यात से पहले राज्यों के बीच माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

x. "जिलों को निर्यात केंद्र (डीईएच) " पहल के तहत, जिलों में लक्षित निर्यात वस्तुओं की पहचान की जाती है और राज्य अधिकारियों और हितधारकों के परामर्श से जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) तैयार की जाती हैं ताकि बुनियादी ढांचे, रसद, गुणवत्ता उन्नयन और बाजार संपर्कों में मूल्य श्रृंखला की कमियों को दूर किया जा सके।

वाणिज्य विभाग के तहत एपीडा अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(च): मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। हाल ही में हस्ताक्षरित एफटीए में से एक उदाहरण के तौर पर, मार्च 2024 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ हस्ताक्षरित और अक्टूबर 2025 में लागू हुआ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) भारत के 99.6% निर्यात को ईएफटीए को पहुँच प्रदान करता है, जिसमें गैर-कृषि वस्तुओं के लिए पूर्ण पहुँच और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर रियायतें शामिल हैं। ईएफटीए ने 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) यूके को भारत के 99% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करता है। 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षरित भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता के तहत सभी भारतीय निर्यातों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और न्यूजीलैंड अगले पंद्रह वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत, जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय संघ जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक जीडीपी का 25% कवर करते हैं, ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत एक भरोसेमंद साझेदारी स्थापित की है। इस समझौते के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात को यूरोपीय संघ में अधिमान्य प्रवेश प्राप्त हो रहा है। यह एफटीए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नए अवसर खोलेगा और महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और पेशेवरों के लिए रोजगार सृजित करेगा। यह एफटीए वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। भारत ने संवेदनशील कृषि उत्पादों और डेयरी क्षेत्र को संरक्षित किया है। एफटीए भागीदार देशों के बीच दीर्घकालिक टैरिफ की निश्चितता से निवेश को प्रोत्साहन मिलने और विविधीकरण सहित नई आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। एफटीए सेवाओं के व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें भारतीय सेवा प्रदाताओं को यूरोपीय संघ के बाजार में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्थिर और अनुकूल व्यवस्था मिलेगी। एफटीए से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ के उन सदस्य देशों में जहां नियम मौजूद नहीं हैं, वहां आयुष चिकित्सक भारत में प्राप्त अपनी पेशेवर योग्यताओं का उपयोग करके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

*****